[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2023 का विधेयक संख्यांक 58

[दि पोस्ट आफिस बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

डाकघर विधेयक, 2023

भारत में डाकघर से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवे वर्ष में संसद् द्वारा यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डाकघर अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत् होगा जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "महानिदेशक" से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त डाक सेवा महानिदेशक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(ख) "मद" से ऐसी अविभाजनीय वस्तु अभिप्रेत है जिसे डाकघर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वीकार करता है ;

(ग) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(घ) "डाकघर" से डाक विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत डाकघर द्वारा कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक घर, भवन, कमरा, स्थान और कोई अन्य आस्ति भी सम्मिलित है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और "विहित" पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(च) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ।

डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।

3. (1) डाकघर ऐसी सेवाएं उपलब्ध करेगा जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

(2) महानिदेशक निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा,—

(क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सेवाएं उपलब्ध करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों की बाबत ; और

(ख) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभार नियत करने और निबंधन तथा शर्तें ।

(3) डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन होगी ।

डाक महसूल स्टांप की बाबत अनन्य विशेषाधिकार ।

4. (1) डाकघर के पास डाक महसूल स्टांप जारी करने का अनन्य विशेषाधिकार होगा ।

(2) महानिदेशक डाक महसूल स्टांप और डाक सामग्री के विक्रय और प्रदाय से संबंधित विनियम बना सकेगा ।

(3) इस धारा में,—

(क) "डाक महसूल स्टांप" से डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवा, जो विहित की जाए, के बारे में देय राशियों को व्यक्त करने के लिए, भौतिक या डिजिटल, किसी भी प्ररूप में, केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई स्टांप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी वस्तु पर चस्पा, मुद्रित, समुद्भूत, छापित या अन्यथा उपदर्शित स्टांप भी है ;

(ख) "डाक सामग्री" से डाकघर द्वारा जारी ऐसी सामग्री जैसे लिफाफे, पत्र कार्ड, पोस्टकार्ड पर उपदर्शित करने वाले मुद्रित स्टांप या उत्कीर्ण, जिन पर डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सेवा की बाबत देय राशि, पूर्व संदत्त की गई है, अभिप्रेत है ।

पता और पोस्ट कोड ।

5. (1) केंद्रीय सरकार, वस्तुओं, पता पहचानकर्ता और पोस्ट कोड के उपयोग हेतु मानक विहित कर सकेगी ।

(2) इस धारा में "पोस्ट कोड" से किसी भौगोलिक क्षेत्र या अवस्थिति की पहचान करने और वस्तुओं तथा अन्य प्रयोजनों के लिए छंटनी, परिदान की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु प्रयुक्त अंकों, अक्षरों या डिजिटल कोड की श्रृंखला या अंकों, अक्षरों या डिजिटल कोड का संयोजन अभिप्रेत है ।

अन्य देशों के साथ समझौता प्रभावशील करने की शक्ति ।

6. केंद्रीय सरकार, डाकघर द्वारा किसी विदेश या राज्यक्षेत्र में उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं के लिए भारत और उक्त विदेश या राज्यक्षेत्र के मध्य किए गए समझौतों को प्रभावशील करने के लिए नियम बना सकेगी ।

डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की बाबत देय राशियों की वसूली ।

7. (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा अभिप्राप्त की है, ऐसी सेवा की बाबत प्रभारों का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रभारों का संदाय करने से इन्कार करता है या उपेक्षा करता है तो ऐसी रकम उसी प्रकार मानो उसके द्वारा भू-राजस्व देय बकाया था वसूलनीय होगी ।

शासकीय चिह्न का कतिपय व्यक्त तथ्यों का साक्ष्य होना ।

8. केंद्रीय सरकार, व्यक्त तथ्यों को पृथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए वस्तुओं पर शासकीय चिह्न व्यक्त करने हेतु शर्ते विहित कर सकेगी ।

सीमाशुल्क प्राधिकारी को कोई वस्तु रोकने, खोलने या प्रतिधृत करने या वस्तु परिदत्त करने की शक्ति ।

9. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ विदेशी राज्यों के राज्य की सुरक्षा के हित में डाकघर द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी वस्तु को लोक आदेश, आपात या लोक सुरक्षा या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन की दशा में किसी वस्तु को रोकने, खोलने या प्रतिधृत करने हेतु किसी अधिकारी को सशक्त कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु का ऐसी रीति में, जो यह ठीक समझे, निपटान कर सकेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत की सीमाओं के भीतर या उससे बाहर प्राप्त और शुल्क के लिए दायी किसी वस्तु को रखने के लिए हिसाब में ली गई किसी मद या जिसमें कोई प्रतिषिध वस्तु होने का संदेह को, ऐसे सीमाशुल्क प्राधिकारी को किसी अन्य प्राधिकारी को जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, परिदत्त करने के लिए डाकघर के किसी अधिकारी को सशक्त कर सकेगी और ऐसा सीमाशुल्क प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसी मद का निपटान करेगा ।

देयता से छूट ।

10. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, डाकघर को, डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सेवा के संबंध में ऐसी देयता, जो विहित की जाए, के सिवाय कोई देयता उपगत नहीं होगी ।

(2) डाकघर का कोई अधिकारी डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के संबंध में हुई हानि के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक वह कपट या इच्छा या चूक के कारण न हुई हो ।

महानिदेशक को नियम बनाने की शक्तियों से भिन्न, शक्ति का प्रत्यायोजन ।

11. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा महानिदेशक को, या तो आत्यांतिक रूप से या शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, का प्रयोग करने हेतु, प्राधिकृत कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

12. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों का निर्वहन करने हेतु नियम बना सकेगी ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

13. महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

14. इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो यह आवश्यक या समीचीन समझे, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु इस अधिनियम के आरंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र बनाए जाने के पश्चात् संसदे के पटल पर रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

16. (1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1898 का 6

(2) उपधारा (1) के द्वारा इस अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अधीन बनाए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं और आदेश, ऐसी विधि के अधीन जहां तक उनका संबंध इस अधिनियम के अधीन उपबंधों से है और उससे असंगत नहीं है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या अधिसूचना या आदेश द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दिए जाते ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898, वर्ष 1898 में भारत में डाकघर की कार्यप्रणाली को शासित करने को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था । यह अधिनियम मुख्यत:, डाकघर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली डाक सेवाओं से संबंधित है । पिछले कुछ वर्षों में, डाकघर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में डाक से परे विविधता आई हैं और डाकघर नेटवर्क नागरिक केंद्रित सेवाओं के विभिन्न परिदानों हेतु एक माध्यम बन चुका है, जिस कारण उक्त अधिनियम का निरसन और इसके स्थान पर एक नया अधिनियमन आवश्यक हो गया है । तदनुसार, डाकघर विधेयक, 2023 प्रस्तावित है, जो इन परिवर्तनों को संबोधित करता है और नागरिक केंद्रित सेवाओं के परिदान हेतु एक नेटवर्क के रूप में डाकघर के विकास को सुकर बनाने के लिए एक सरल विधायी कार्यढांचे का उपबंध करता है।

2. डाकघर विधेयक, 2023, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के निरसन और भारत में डाकघर से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है ।

3. विधेयक, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित उपबंध करने के लिए है—

(क) डाकघर ऐसी सेवाएं उपलब्ध करेगा, जो केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे ;

(ख) डाक सेवा महानिदेशक, ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों की बाबत विनियम बनाएगा और उन सेवाओं की बाबत प्रभार नियत करेगा ;

(ग) डाकघर के पास डाक महसूल स्टांप जारी करने का अनन्य विशेषाधिकार होगा ;

(घ) केंद्रीय सरकार के पास किसी विदेश या राज्यक्षेत्र के मध्य किए गए समझौतों को प्रभावशील करने की शक्ति होगी ;

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति जिसने डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा अभिप्राप्त की है, ऐसी सेवा की बाबत प्रभारों का संदाय करने के लिए दायी होगा और यदि ऐसा व्यक्ति प्रभारों का संदाय करने से इन्कार करता है या उपेक्षा करता है तो ऐसी रकम भू-राजस्व देय बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ;

(च) केंद्रीय सरकार, द्योतक तथ्यों को पृथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए वस्तुओं पर शासकीय चिह्न द्योतक करने हेतु शर्तें विहित कर सकेगी ;

(छ) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले विदेशी राज्यों, राज्य की सुरक्षा के हित में डाकघर द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी वस्तु को लोक आदेश, आपात या लोक सुरक्षा या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन की दशा में किसी वस्तु को रोकने, खोलने या प्रतिधृत करने की डाकघर के किसी अधिकारी को सशक्त कर सकेगी ;

(ज) डाकघर या डाकघर का कोई अधिकारी ऐसी हानि, गलत परिदान, विलंब या डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सेवा के अनुक्रम में हुई हानि के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक वह कपट या इच्छा या चूक के कारण न हुई हो ।

4. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; अश्विनी वैष्णव

8, अगस्त, 2023

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो इसमें भारत की संचित निधि में से कोई आवर्ती या अनावर्ती वित्तीय व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 12, केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है । वे विषय जिनके संबंध में, अन्य बातों के साथ, नियम बनाए जा सकेंगे- (क) खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन डाकघर द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं; (ख) खंड 5 के उपखंड (1) के अधीन वस्तुओं, पता पहचानकर्ता और पोस्ट कोड के उपयोग हेतु मानक; (ग) खंड 6 के अधीन डाकघर द्वारा किसी विदेश या राज्यक्षेत्र में उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं के लिए भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र के मध्य किए गए समझौतों को प्रभावशील करने के लिए नियम बनाना; (घ) खंड 8 के अधीन द्योतक तथ्यों को पृथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए वस्तुओं पर शासकीय चिह्न द्योतक करने हेतु शर्ते विहित करना; (ङ) खंड 10 के उपखंड (1) के अधीन डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सेवा के संबंध में देयता ।

2. विधेयक का खंड 13 महानिदेशक को विनियम बनाने की शक्ति प्रदत करने हेतु -(क) खंड 3 के उपखंड (2) के अधीन डाकघर की सेवाओं की बाबत प्रभार नियत करने और इन सेवाओं के निबंधन और शर्तें; (ख) खंड 4 के उपखंड (2) के अधीन डाक महसूल स्टांप और डाक सामग्री के विक्रय और प्रदाय से संबंधित विनियम बनाने; का उपबंध करने के लिए है।

3. विधेयक का खंड 14, विधेयक के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम या विनियम को, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

4. वे विषय जिनके संबंध में उपरोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रशासनिक ब्यौरों और प्रक्रिया के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—271RS(CRC)—9.8.2023.